चाय उद्योग का राष्ट्रीयकरण

772. श्री विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री विजय भाई एम० शुक्ल :
श्री भागीरथ भंवर :

क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार चाय उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संकटग्रस्त चाय बागानों को अपने अधिकार मे लेने का है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी, हां ।

(ख) किसी चाय बागान को संकटग्रस्त घोषित करने तथा संकटग्रस्त बागानों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का काम चाय (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा किया जाता है जिसके अन्तर्गत जब कभी आवश्यक होता है समुचित कार्यवाही की जाती है ।

Demands made by the Chief Minister of West Bengal

773. SHRI DILIP CHAKRAVARTY: Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) whether the Chief Minister, West Bengal made certain demands on the basis of the recommendations of the Seventh Finance Commission ;

(b) whether the Government of India has taken note of the proposed move of the West Bengal Government to move the Supreme Court; and

(c) the reaction of the Government of India to the proposed move?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL): (a) Yes Sir. In the meeting of the Chief Ministers held on 19th and 20th May, 1979 the Chief Minister of West Bengal had raised matters relating to the corporation tax, the surcharge of income-tax, the scheme of additional duties of excise in lieu of sales tax applicable to textiles, sugar and tobacco and grant in lieu of tax on railway passenger fares.

(b) and (c). With regard to the scheme of additional excise duty in lieu of sales tax referred to in the reply to part (a), the Chief Minister, West Bengal had also stated that if the matter was not sorted out amicably, the State Government might refer it to Supreme Court under Article 131 of the Constitution. The Prime Minister had indicated that a Review Committee would go into the working of the scheme to see whether what is objected to by the States could be removed.

सरकारी उपक्रमों में सुविधायें

774. श्री राम नरेश कुशवाहा : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 10 वर्ष पूर्व सरकारी उपक्रमों में अधिकारियों, कर्मचारियों तथा औद्योगिक श्रमिकों, को आज उपलब्ध सुविधाओं की तुलना मे, उद्यमवार क्या-क्या सुविधायें मिलती थी ,

(ख) उन उद्योगों के नाम क्या हैं, जहां लाभ की स्थिति में उक्त सुविधायें दी जाती थी तथा जहां हानि होने की स्थिति में भी उक्त सुविधायें दी जाती थी, और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन उद्योगों के उत्पादन में कितनी वृद्धि अथवा कमी हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) (क) और (ख), सम्भवत माननीय सदस्य का आशय सरकारी उद्यमों के सामान्य कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मजूरी एवं वेतन के अलावा मिल रही उन सुविधाओं से है, जो रुपयों में कूती जा सकती है । अत यह बताना अप्रासंगिक न होगा कि सरकारी उद्यमों द्वारा अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और औद्योगिक कामगारों को दी गई ऐसी सुविधायें, उनके द्वारा बनाए गए नियमों एव विनियमों द्वारा विनियमित की जाती हैं । जहां तक औद्योगिक कामगारों का प्रश्न है, सरकारी उद्यमों द्वारा बनाए गए नियम, उस क्षेत्र विशेष एव सम्बद्ध उद्यम में लागू औद्योगिक विधि मे दिए गए उपबन्धों के अनुरूप होते हैं । दूसरे शब्दों मे कोयला खान मजदूर कल्याण निधि, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कारखाना (फक्ट्रीज) अधिनियम, लौह खनिज खान मजदूर कल्याण अधिनियम, खान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस संदाय अधिनियम, साप्ताहिक अवकाश अधिनियम के साथ-साथ विभिन्न औद्योगिक स्थापनाओं में काम के घण्टों और समयोपरि भत्ते का भुगतान व नियमित करने वाले राज्य अधिनियमों के उपबन्ध भी सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर समान रूप से लागू होते हैं तथा उनके अन्तर्गत दी गई सुविधायें इन उद्यमों द्वारा अपने औद्योगिक कामगारों को प्रदान की जाती हैं । जब तक कि किसी विशेष अधिनियम के उपबन्धों से उनके कर्मचारियों को मिलने वाली बेहतर सुविधाओं के कारण उनको अन्यथा छूट न दी गई हो । सांविधिक सुविधाओं के अलावा सरकारी उद्यम आदर्श नियोक्ता होने के नाते कामगार निवास, परिवहन सहायता, अपनी स्वामित्व एवं प्रबन्ध के अधीन औषधालयों एवं अस्पतालों में चिकित्सा सुविधायें, सहायता प्राप्त आवास एवं कैंटीन सम्बन्धी

सुविधाएं भी प्रदान करते हैं कुछ क्षेत्रों में सरकारी उद्यमों ने अपने कर्मचारियों के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था के प्रयोजनार्थ शैक्षिक संस्थाएँ खोली हैं। इन्होंने कर्मचारी हित लाभ निधियोजनाओं और वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना जैसी सुविधाओं की भी व्यवस्था की है ।

2. सरकारी उद्यमों के अधिकारी और कर्मचारी चिकित्सा सहायता, अंशदायी भविष्य निधि, उपदान राशि के भुगतान आदि को सामान्य सुविधाओं के अलावा, छुट्टी यात्रा रियायत, राज सहायता प्राप्त मकानों के आवंटन, सामूहिक व्यक्तिक दुर्घटना एवं बीमारी तथा मोटरकार, स्कूटर, मकान खरीदने के लिए अग्रिम राशि या मकान बनाने के लिए ऋण आदि की सुविधाओं के पात्र हैं। विकलांग कर्मचारी भी कार्यालय जाने और वहां से लौटने के लिए 50 रुपये मासिक सवारी भत्ता पाने के हकदार हैं ।

3. जहां तक औद्योगिक कामगारों को मिलने वाली उपर्युक्त सुविधाओं का प्रश्न है, इनमें पिछले 10 वर्ष के दौरान कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है । किन्तु, सरकारी उद्यमों के अधिकारियों और कर्मचारियों को मकान बनाने, मोटर साइकिल सामूहिक, वैयक्तिक दुर्घटना एवं बीमा योजना के लिए अग्रिम राशि की सुविधा सम्बद्ध उद्यम की अर्थोपाय स्थिति के अनुसार चरणबद्ध रूप में प्रदान की गई है । तथापि, यह उल्लेखनीय है कि सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत उपर्युक्त सुविधाओं की व्यवस्था आवश्यक रूप से सम्बद्ध उद्यम के लाभ और हानि के साथ जुड़ी हुई नहीं है ।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादन में 10 वर्ष की अवधि के दौरान हुई वृद्धि या कमी के आंकड़े, केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्य की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध हैं, जिसकी प्रतियां हर साल बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पेश की जाती हैं।

Permission for Indian settled abroad to acquire Agriculture Property

775. SHRI M. V. CHANDRA SHEKHARA MURTHY:
SHRI A. R. BADRINARAYAN:
SHRI NIHAR LASKAR:

Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to state:

(a) whether Union Government have decided that foreigners of Indian origin may be allowed to acquire agricultural property and if so, the reasons therefor;

(b) if not, when final decision is likely to be taken;

(c) whether his Ministry had appointed an expert group to go into the whole question; and

(d) if so, what are their views?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL): (a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d). The Working Group constituted by the Govt. to go into the various problems faced by non-Resident Indians and foreigners of Indian origin with regard to certain provisions of FERA, 1973, had *inter alia* examined the question of allowing foreigners of Indian origin to acquire agricultural property. The recomendations of the Working Group were considered by the Government and was decided not to allow foreigners of Indian origin to acquire agricultural property as this would be inconsistent with the accepted policy of the Government regarding absentee ownership of agricultural property

Performance of Joint Venture Abroad

776. SHRI R. V. SWAMINATHAN :
SHRI P. M. SAYEED :
SHRI A. R. BADRINARAYAN:

Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether an analysis of Indian Joint ventures abroad has revealed that out of 350 proposals approved so far only 107 joint ventures are in production stage and another 90 are currently under various stages of implementation;

(b) if so, whether it is also a fact that as many as 139 proposals have remained unimplemented and 23 units which were in operation for some time in the past have been abandoned;

(c) if so, what were the main reasons for all this;

(d) what steps are being taken in this regards; and

(e) whether Government have set up enquiry about this?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG): (a) to (e). Yes Sir. This was the position as on March, 1979.

The main reasons for non-impelmentation are as follows :—

(a) under-estimation and, some times non-comprehension of the problems in respect of raising of finances, marketing of goods produced, the management arrangemens etc. by the Indian parties;